न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 10/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सतिन्द्र पाल सिह पुत्र इकबला सिह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1. इकबाल सिह पुत्र जगदेव सिह
2. कमलजीत कौर पत्नी इकबाल सिह
3. जसनदीप कौर पुत्री इकबाल सिह
4. हर्षदीप कौर पुत्री इकबाल सिह
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

समस्त जाति जटसिख निवासीयान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री जसवीर सिह — वकील वादी
2. श्री प्रवीण बैरड़ — वकील प्रति.सं. 1 ता 4

निर्णय दिनांक :— 12.3.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी की सगी बहिनें है। वाद को समझने के प्रयोजनार्थ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के परिवार की वंशावली उल्लेखित की जा रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 2 ए.एम.पी., 3 ए.एम.पी. एवं चक 3 के.एस.डी. में अवस्थित है, जो संयुक्त हिन्दु परिवार का मुख्यकर्ता होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक रिकार्ड चालू जमाबन्दी चक 2 ए.एम.पी. जमाबन्दी संवत 2070—2073 के खाता संख्या 13/88 एकल खाता में प्रतिवादीं संख्या 1 के नाम कुल खाता की 0.759 है. कृषि भूमि चक 3 के.एस.डी जमाबन्दी सवत 2070—2073 के खाता संख्या 12/11 एकल खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कुल खाता की 1999 है. कृषि भूमि तथा चक 3 ए.एम.पी. जमाबन्दी संवत 2072—2075 के खाता संख्या 23/4 एकल खाता में प्रति.सं. 1 के नाम कुल खाता की 2.746 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। जिसे विधिनुसार वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेखित कृषि भूमि के संबंध में अच्छी मंदी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

भूमि के आधार रास्ता खाला एवं जोत–काश्त की सुविधा एवं जोत के एकीकरण को ध्यान में रखकर अर्सा पूर्वक प्रतिवादीगण ने वादी के साथ घरू विभाजन कर लिया था। घरू विभाजन के अनुसार प्राप्त कृषि भूमि वादी के आधिपत्य एवं धारण में है। जिसे वादी बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। आधिपत्य के संबंध में कोई वाद विवाद नही है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेखित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है चूंकि संयुक्त हिन्दु परिवार में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उनका पालन पोषण भली प्रकार से किया जा रहा है। जिससे वे प्रसन्न है तथा अपने संयुक्त हिन्दु परिवार में खुश है। एवं सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। जिसके कारण उन्होने प्रथमतया ही अपने हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। उक्त परिस्थितियों में मुताबिक घरू विभाजन चालू जमाबन्दी चक 2 एएमपी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 13/88 एकल खाता में प्रति.सं. 1 के नाम दर्ज कुल खाता की 0.759 है. कृषि भूमि तथा चक 3 केएसडी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 12/11 एकल खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल खाता की 1999 है. कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त दोनो चकों 2 एएमपी खाता संख्या 13/88 एवं चक 3 केएसडी खाता संख्या 12/11 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे। मुताबिक घरू विभाजन चक 3 एमएमपी खाता संख्या 23/4 की कुल 2.726 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं उसके आधिपत्य एव धारण में है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 में उल्लेखित वादी को घरू विभाजन में प्राप्त वादी के कब्जा–काश्त की भूमि वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज नही हुई है। जिससे वादी को उक्त भूमि पर प्राप्त विधिक अधिकारों का उल्लघंन व उनसे कुठाराघात हो रहा है। वादी सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास की योजनाओ का लाभ उठाने से वंचित हो रहा है। अगर उक्त कृषि भूमि वादी के नाम रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नही होती है तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगीं। जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नही आंकी जा सकेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादी को वाद पत्र की चरण सख्या 5 में उल्लेखित वादी के हिस्सा व कब्जा–काश्त की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मान लेवे तथा वाद पत्र की चरण संख्या 5 में उल्लेखित वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मान लेवें तथा वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार वादी के नाम रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवा देवे। वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण आज कल का कहकर टालमटोल करते रहे तथा अन्त में वादी के निवेदन को मानने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वादकारण है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि दर्ज होने व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का उक्त कृषि भूमि में हित

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

निहित होने के कारण व उनके द्वारा अपना हक परित्याग किया होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 5 को भूमि धारी होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी घोषणा का है। जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा अवधि परिसीमा में उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अग्रलिखितानुसार डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा इस आश्य की जारी की जावे कि मुताबिक घरू विभाजन चालू जमाबन्दी चक 2 ए.एम.पी. जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 13/88 एकल खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल खाता की 0.199 है. कृषि भूमि तथा चक 3 केएसडी जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 12/11 एकल खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल खाता की 1999 है. कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त दोनो चकों 2 एएमपी खाता संख्या 13/88 एवं चक 3 केएसडी खाता संख्या 12/11 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालदावा मय राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट. की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सतिन्द्र पाल सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 2 ए.एम. पी. के खाता संख्या 13/88 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 3 केएसडी के खाता संख्या 12/11 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबन्दीयो की प्रति एवं प्रकरण संख्या 36/2014 अनवान लूदर सिह वगैरा बनाम बीबी कौर वगैरा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2015 को पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उंभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 2 ए.एम.पी. के खाता संख्या 13/88 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 3 केएसडी के खाता संख्या 12/11 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रतिवादी संख्या 1 इकबाल सिह पुत्र जगदेव सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 2 ए.एम.पी. के खाता संख्या 13/88 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 3 केएसडी के खाता संख्या 12/11

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबन्दीयो की प्रति एवं प्रकरण संख्या 36/2014 अनवान लूदर सिह वगैरा बनाम बीबी कौर वगैरा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2015 को पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 इकबला सिह पुत्र जगदेव सिह के नाम चक 2 ए.एम.पी. के. खाता संख्या 13/88 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 3 केएसडी के खाता संख्या 12/11 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता इकबलदावा मय राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 2 ए.एम.पी. के खाता संख्या 13/88 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 3 केएसडी के खाता संख्या 12/11 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 इकबालसिह पुत्र जगदेव सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी सतिन्द्र पाल सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जग कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मंगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 10/2025

सतिन्द्र पाल सिह पुत्र इकबला सिह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1. इकबाल सिह पुत्र जगदेव सिह
2. कमलजीत कौर पत्नी इकबाल सिह
3. जसनदीप कौर पुत्री इकबाल सिह
4. हर्षदीप कौर पुत्री इकबाल सिह
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

समस्त जाति जटसिख निवासीयान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीर सिह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री प्रवीण बेरड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 2 ए.एम.पी. के खाता संख्या 13/88 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 3 केएसडी के खाता संख्या 12/11 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 इकबालसिह पुत्र जगदेव सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी सतिन्द्र पाल सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज......X......नल..........X.मुब्लिक.........X..निल.......X.....बाबत्.....X......निल...500/-...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......X... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Scanned with OKEN Scanner